



नदियों के कार्याकल्प पर वसित परियोजना रिपोर्ट

प्रलिस के लयः

नदियों के कार्याकल्प पर वसित परियोजना रिपोर्ट, शुद्ध शून्य उत्सर्जन, 2070 तक भारत का शुद्ध शून्य लक्ष्य, कोप-26, अक्षय ऊर्जा लक्ष्य ।

मेन्स के लयः

सरकारी नीतियों और हस्तक्षेप, नदियों के कार्याकल्प पर वसित परियोजना रिपोर्ट के लाभ और संबंधित चुनौतियाँ ।

चर्चा में क्यों?

केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (Ministry of Environment, Forest and Climate Change) तथा केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय (Ministry of Jal Shakti) द्वारा संयुक्त रूप से वानिकी संबंधी पहलों के माध्यम से 13 प्रमुख नदियों के कार्याकल्प पर वसित परियोजना रिपोर्ट (Detailed Project Report- DPR) जारी की गई है ।

- 13 प्रमुख नदियों में झेलम, चनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, यमुना, ब्रह्मपुत्र, लूनी, नर्मदा, गोदावरी, महानदी, कृष्णा और कावेरी शामिल हैं ।

प्रमुख बडु

DPRs के पीछे का वचारः

- इसे वर्ष 2015-16 में [राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन](#) (National Mission for Clean Ganga- NMCG) के हसिसे के रूप में कयि गए कार्यों की तर्ज पर यह स्वीकार करते हुए तैयार कयिा गया है कि बढ़ता जल संकट नदी के पारसिथितिकि तंत्र के क्षरण का कारण है ।
- यह परियोजना रिपोर्ट एक बहु-स्तरीय, बहु-हतिधारक, बहु-वषिक और समग्र दृष्टिकोण पर आधारति है ताकि 'अवरिल धारा' (Uninterrupted Flow), 'नरिमल धारा' (Clean Water) और पारसिथितिकि कार्याकल्प के व्यापक उद्देश्यों को पूरा कयिा जा सके ।

शामलि क्षेत्र/परदृश्यः

- 13 नदियाँ सामूहिक रूप से 18,90,110 वर्ग कमी. के कुल बेसनि क्षेत्र को आच्छादति करती हैं जो देश के भौगोलिक क्षेत्र का 57.45 फीसदी हसिसे का प्रतिनिधित्व करता है ।
- परियोजना के अंतर्गत 202 सहायक नदियों सहति 13 नदियों की कुल लंबाई 42,830 कमी. है ।
 - ब्रह्मपुत्र रविरस्क्रेप में सर्वाधिकसहायक नदियाँ (30) और 1,54,456 वर्ग कमी. का क्षेत्र शामिल हैं ।
- दस्तावेजों में नदियों के परदृश्य में वानिकी पहलों का प्रस्ताव कयिा गया है जसिमे लकड़ी की प्रजातियों, औषधीय पौधों, घास, झाड़ियों व ईधन, चारा और फलों वाले पेड़ों सहति वानिकी वृक्षारोपण के वभिन्न मॉडलों द्वारा जल स्तर को बढ़ाना, भूजल में वृद्धिके साथ ही क्षरण को रोकना शामिल है ।

नयोजति हस्तक्षेपः

- DPR तीन प्रकार के परदृश्यों में वानिकी हस्तक्षेप और आर्द्रभूमि प्रबंधन के लयि एक समग्र रविरस्क्रेप दृष्टिकोण अपनाने की क्षमता की पहचान करती है ।
- ये कार्य नीति स्तरीय हस्तक्षेप, रणनीतिक और अनुकूली अनुसंधान, क्षमता विकास, जागरूकता निर्माण, परियोजना प्रबंधन एवं भागीदारी नगिरानी तथा मूल्यांकन जैसी सहायक गतिविधियों के साथ कयि जाते हैं ।

प्रस्तावति हस्तक्षेपों के संभावति लाभः

- वन आवरण में वृद्धि:
 - इससे 13 नदियों के परदृश्य में 7,417.36 वर्ग कमी. के संचयी वन क्षेत्र में वृद्धि होने की संभावना है।
- CO₂ के पृथक्करण में सहायता:
 - प्रस्तावित हस्तक्षेप से 10 साल पुराने वृक्षारोपण से 50.21 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड और 20 साल पुराने वृक्षारोपण से 74.76 मिलियन कार्बन डाइऑक्साइड कम करने में मदद मिलेगी।
- भूजल पुनर्भरण में सहायता:
 - वे भूजल पुनर्भरण में मदद के साथ अवसादन को कम करेंगे, इसके अलावा गैर-लकड़ी और अन्य वन उपज से 449.01 करोड़ रुपए की आय होने की संभावना है।
- रोजगार सृजन:
 - उनसे लगभग 344 मिलियन मानव-दविस कार्य के माध्यम से रोजगार सृजन की दशा में महत्त्वपूर्ण योगदान की भी संभावना है।
- अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं को पूरा करना:
 - इन प्रयासों से भारत को अपनी अंतरराष्ट्रीय जलवायु प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में मदद मिलेगी:
 - संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज (यूएनएफसीसीसी) के [पेरिस समझौते](#) के तहत वर्ष 2030 तक अतिरिक्त वन और वृक्षों के आवरण के माध्यम से 2.5-3 बिलियन टन CO₂ समकक्ष का एक अतिरिक्त कार्बन सॉक बनाना;
 - वर्ष 2030 तक 26 मिलियन हेक्टेयर खराब पड़ी भूमि को पुनर्स्थापित करना।
 - कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डायवर्सिटी (सीबीडी) और सतत विकास लक्ष्यों के तहत वर्ष 2030 तक जैव विविधता के नुकसान को रोकना।
 - COP-26 में भारत ने वर्ष 2030 तक अपने अनुमानित कार्बन उत्सर्जन को एक बिलियन टन कम करने, वर्ष 2030 तक अक्षय ऊर्जा के माध्यम से 50% ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने, वर्ष 2030 तक गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता को 500 गीगावाट तक बढ़ाने, इसकी कार्बन तीव्रता को कम करने एवं वर्ष 2030 तक 45% अर्थव्यवस्था और वर्ष 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने का वादा किया।
 - [बॉन चैलेंज](#) के तहत भारत ने वर्ष 2015 में वर्ष 2030 तक 50 लाख हेक्टेयर नमिनीकृत भूमि को बहाल करने का भी वादा किया था।

वर्षों के प्रश्न

'मोमेंटम फॉर चेंज: क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ" किसके द्वारा शुरू की गई एक पहल है? (2018)

- (a) जलवायु परिवर्तन पर अंतर-सरकारी पैनल
- (b) यूएनईपी सचिवालय
- (c) यूएनएफसीसीसी सचिवालय
- (d) विश्व मौसम विज्ञान संगठन

उत्तर: c

संबंधित चुनौतियाँ

- नदी पारस्थितिक तंत्र के सिकुड़ने और क्षरण के कारण पीने योग्य जल संसाधनों के घटने से बढ़ता जल संकट पर्यावरण, संरक्षण, जलवायु परिवर्तन व सतत विकास से संबंधित राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में एक बड़ी बाधा है।
- परियोजना की सफलता कई कारकों पर निर्भर करती है, जसमें वृक्षारोपण की सही विधि और जलवायु में परिवर्तन शामिल हैं।

आगे की राह

- वृक्षारोपण के जोखिमों एवं जलवायु में परिवर्तन से बचने के लिये वन विभाग को 'रोपण स्टॉक की गुणवत्ता, विशेष रूप से आयु एवं आकार जैसे महत्त्वपूर्ण पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करना होगा, साथ ही जोखिम को और कम करने के लिये वृक्षारोपण से पहले मिट्टी एवं नमी का संरक्षण सुनिश्चित किया जाना भी आवश्यक है।

वर्षों के प्रश्न

नमिनलखिति में से कौन 'राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण' (NGRBA) की प्रमुख विशेषताएँ हैं? (2016)

1. नदी बेसिन, नियोजन एवं प्रबंधन की इकाई है।
2. यह राष्ट्रीय स्तर पर नदी संरक्षण के प्रयासों का नेतृत्व करता है।
3. उन राज्यों के मुख्यमंत्रियों में से एक जसि राज्य से गंगा बहती है, चक्रानुक्रम के आधार पर NGRBA के अध्यक्ष बनते हैं।

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:

- (a) केवल 1 और 2

- (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3
(d) 1, 2 और 3

उत्तर: (a)

स्रोत: पी.आई.बी.

PDF Reference URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/river-rejuvenation-detailed-project-report>

